

| | | | | |
|----|--|-----------------------------|---------|---------|
| iv | शादी हॉल, उत्सव हॉल प्रदर्शनी एवं मेला | 2500=00 | 1500=00 | 1000=00 |
| v | अन्य, जो ऊपर चिन्हित नहीं हैं | नगरपालिका के आकलन के अनुसार | | |

2. सड़क के किनारे अवशिष्ट / कचरा जमा करने पर निम्नवत जुर्माना देय होगा:-
 - (i) आवासीय मकानों से- रुपये 100 प्रति घटना ।
 - (ii) भवन निर्माण सामग्री / मलवा सड़क किनारे रखने पर- रुपया 1000/ प्रति घटना एवं मलवा हटाने का वास्तविक व्यय ।
 - (iii) जुर्माना जमा नहीं करने पर 15% की दर से अतिरिक्त ब्याज वसूलनीय होगा ।
 - (iv) सभी प्रभार / शुल्क / दण्ड सम्पत्ति कर के बंकाया के रूप में वसूलनीय होगा ।
3. प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-

(जय सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार
/ दिनांक -

जापांक - 3/UG-रिफॉर्म्स 10/2012-

प्रतिलिपि - वित्त विभाग, इ गजट कोषांग, बिहार पटना को सी०डी० के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है की वे कृपया मुद्रित गजट की २०० प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार

जापांक - 3/UG-रिफॉर्म्स 10/2012-

1251

/दिनांक - 12.7.13

प्रतिलिपि - मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री-सह-प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, मगध, भागलपुर, तिरहुत, सारण, मुंगेर, कोशी, दरभंगा और पूर्णियां प्रमंडल / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद/सभी नगर आयुक्त/सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार